सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 465 राँची, मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 (ई०)

REVENUE, REGISTRATION AND LAND REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION
11 SEPTEMBER, 2020

No. 05/Sa.Bhu. Vividh (Ordinance)-43/ 2020-2368/Ra In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Jharkhand Mineral Bearing Lands (COVID- 19 Pandemic) Cess Ordinance, 2020, The Government of Jharkhand hereby makes "The Jharkhand Mineral Bearing Lands (COVID-19 Pandemic) Cess Rules, 2020”.

By the order of the Governor,

Kamal Kishore Soan,
Secretary to the Government.

"झारखण्ड खनिज धारित भूमि (COVID-19 PANDEMIC) सेस नियमावली, 2020"

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-**

(1) यह नियमावली झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (**COVID-19 PANDEMIC**) उपकर नियमावली 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं**

इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -

(क) **"उपकर"** का अर्थ है अध्यादेश की धारा 3 के तहत लगाया गया उपकर;

(ख) **" आयुक्त "** का अर्थ प्रमंडल का आयुक्त है;

(ग) **" प्रेषण "** का अर्थ खनन पट्टा क्षेत्र से खनिज का प्रेषण जो इस अध्यादेश में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं

(घ) **"विभाग"** से तात्पर्य है राज्य का राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग है;

(ङ) **"उपायुक्त"** का अर्थ है जिला के उपायुक्त;

(च) **"नामित बैंक"** का अर्थ ऐसे बैंक से है जो उपकर या देय उपकर की किसी भी राशि को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा एक परिपत्र द्वारा निर्धारित किया गया है;

(छ) **"आपदा"** का अर्थ किसी भी क्षेत्र में होने वाली तबाही, महामारी / महामारी, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना है, जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होती है, या दुर्घटना या लापरवाही से होती है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन का काफी नुकसान होता है या रोजगार का नुकसान होता है या मानवीय पीड़ा या क्षति, और संपत्ति की क्षति, या पर्यावरण का क्षरण, या विनाश, और इस तरह की प्रकृति या परिमाण का हो जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की मुकावला करने की क्षमता से परे है।

(ज) **"दस्तावेज़"** का अर्थ है और किसी भी प्रकार का अधिकार दस्तावेज एवं डेटा लिखित या मुद्रित रूप में शामिल हैं, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित किए गए किसी भी रूप या किसी अन्य रिकॉर्ड या फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में संग्रहीत हैं;

(झ) **"इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड"** का अर्थ है, एक डेटा, रिकॉर्ड या डेटा उत्पन्न, छवि या ध्वनि संग्रहीत, प्राप्त या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या माइक्रोफ़िल्म या कंप्यूटर से उत्पन्न माइक्रो फ़िच या कंप्यूटर फ़्लॉपी या कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर / मीडिया;

(ञ) **"महामारी"** का अर्थ है राज्य में घटना, बीमारी के मामले, विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार, या सामान्य अपेक्षा से अधिक स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य संबंधी अन्य घटनाएँ और इसमें COVID-19 शामिल हैं;

(ट) **" निधि "** का अर्थ है, अध्यादेश की धारा 4 में निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए; सेस " **COVID-19 PANDEMIC** FUND" की आय जमा करने के उद्देश्य से बनाया गया एक कोष; और निर्धारित तरीके से उपयोग किया जाएगा;

(ठ) **"शासी निकाय"** का अर्थ है, ऐसे प्राधिकारियों का एक निकाय, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अध्यादेश के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गठित किया गया है;

(ड)**"सरकार"** का अर्थ है झारखंड राज्य सरकार;

(ढ) "**धारक**" का अर्थ है खनन या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारक;

(ण) "**खनिज निक्षेप भूमि**" का अर्थ है खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957, कोयला असर क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खान (विशेष) प्रावधान) अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959; के अंतर्गत भूमि का जोत या भूमि जोतने या आवंटित या दी गई या खनिज अधिकार के लिए दी गई भूमि के क्षेत्र को समाहित करना या खनन करना या खनन पट्टे या उत्खनन लाइसेंस या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खान खनन पट्टे के तहत तलाश करना।

(त) "**खनिज उत्पादन**" का अर्थ है अध्यादेश में निर्दिष्ट अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज की एक उपज;

(थ) **"खनिज अधिकार"** का अर्थ है खनन और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत नवीनीकृत/प्राप्त समानुदान पर अधिकार प्राप्त अधिकार। कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 1959 खनन पट्टे पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पेट्रोलियम की खोज।

(द) "**महीना**" का अर्थ होता है एक कैलेंडर महीना या उसका एक भाग;

(ध) "**अधिसूचना**" का अर्थ राज्य की आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है;

(न) "**अध्यादेश**" से तात्पर्य है झारखंड खनिज धारित भूमि (COVID-19 महामारी) सेस अध्यादेश, 2020;

(प) "**अनुसूची**" का मतलब है कि अध्यादेश से जुड़ी अनुसूची;

(फ) **"अनुभाग"** का अर्थ है, अध्यादेश का अनुभाग;

(ब) **"राज्य"** का अर्थ है झारखंड राज्य;

(भ) "**वर्ष**" का अर्थ है 1 अप्रैल से शुरू होने वाला एवं अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होनेवाला वित्तीय वर्ष;

इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका अर्थ वही होगा जो अध्यादेश और सभी संबंधित खनिज अधिनियमों और सभी संबंधित नियमों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि उन सभी अधिनियमों के तहत उन्हें सौंपा गया है; ऐसे सभी अधिनियमों के तहत अधिसूचित या जारी किये गये नियम; अधिसूचना या विनियम।

3. प्रयोज्यता

ये नियम झारखंड खनिज धारित भूमि (COVID-19 महामारी) सेस अध्यादेश 2020 में परिभाषित सभी खनिज धारित भूमि पर लागू होंगे।

4. निधि का उद्देश्य

जैसा कि दिनांक 06.07.2020 के अध्यादेश से संबंधित गजट अधिसूचना की धारा 4 में परिभाषित है।

5. निबंधन

धारक को उस अध्यादेश के तहत पंजीकृत माना जाएगा जहां उन्हें पहले से ही खनिज धारित भूमि पर खनिज अधिकार दिए गए हैं।

6. प्रस्तावित अधिकारी

(1) अध्यादेश के तहत कार्यों को करने के लिए, संबंधित जिलों के उपायुक्त, या उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य निर्धारित अधिकारी होंगे;

(2) संबंधित जिलों के सहायक खनन पदाधिकारी / जिला खनन पदाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति निर्धारित पद्धति के अनुसार उपकर प्राप्त करने का सक्षम अधिकारी होगा।

7. शासी निकाय

(1) राज्य सरकार इन नियमों के शुरू होने के साठ दिनों के भीतर, अध्यादेश की धारा 4 में निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अध्यादेश की धारा 11 के तहत एक शासी निकाय का गठन करेगी।

(2) शासी निकाय निम्नलिखित रूप में गठित होगा -

(a) झारखंड के मुख्यमंत्री : पदेन अध्यक्ष

(b) झारखंड के वित्त मंत्री : पदेन सदस्य

(c) झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री : पदेन सदस्य

(d) मुख्य सचिव, झारखंड : पदेन सदस्य

(e) वित्त सचिव, झारखंड : पदेन सदस्य

(f) सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड : पदेन सदस्य

(g) सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड : पदेन सदस्य

(h) सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड : पदेन सदस्य

(i) सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग : पदेन सदस्य

(j) सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग : पदेन सदस्य

(k) अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कोई अन्य सदस्य

(3) सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड पूर्व शासी निकाय के सदस्य सचिव - सह - समन्वयक होंगे।

(4) शासी निकाय का मुख्यालय रांची में होगा।

(5) शासी निकाय का सदस्य सचिव दो महीने में कम से कम एक बार बैठक बुलाएगा।

(6) अध्यादेश की धारा 4 के तहत निर्दिष्ट ऐसे कार्यक्रमों / परियोजनाओं के निष्पादन / क्रियान्वयन के लिए सरकार निधि या उसके भाग का आवंटन करेगी, और ऐसे निर्देश जारी करेगी, जो परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त और प्राधिकारियों के लिए आवश्यक हो।

(7) शासी निकाय उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करेगा जिनके लिए धन उपलब्ध कराया गया है।

8. उपकर का भुगतान

(1) धारक को अध्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित दरों पर उपकर का भुगतान करना होगा।

(2) उपकर की राशि देय हो जाएगी और उसी दिन भुगतान किया जाएगा जिस तिथि पर सरकार को ऐसे स्वामित्व देय था ।

(3) उपकर का भुगतान झारखंड एकीकृत खान और प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

9. जमा एवं निकासी करने का तरीका

(1) इस प्रकार अध्यादेश के अनुसूची के अनुसार प्राप्त की गई राशि को किसी भी अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में "COVID- 19 PANDEMIC FUND" के नाम से खोले जाने वाले निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

(2) शासी निकाय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किन्ही दो पदाधिकारियों द्वारा बैंक खाता का संचालन किया जायेगा।

(3) 5000 रुपये तक के आकस्मिक खर्च एवं ऐसे वैधानिक बकाया या उपयोगिता शुल्क जिनके लिए ई-भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं है, को छोड़कर सभी भुगतान केवल प्राप्तकर्ता के बैंक खाते (ओं) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाएंगे,

10. ट्रांजिट मूवमेंट

धारक "झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017" में निर्धारित वैध परिवहन चालान प्राप्त करने पर खनिज भेजेंगे।

11. निधि में भुगतेय राशि का अनुश्रवण

नियम 6 में परिभाषित संबंधित जिलों के सहायक खनन पदाधिकारी / जिला खनन पदाधिकारी, प्रत्येक खनन पट्टा धारक द्वारा देय और भुगतान की गई राशि का एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाए रखेंगे और शासी निकाय के सदस्य सचिव-सह-समन्वयक को प्रत्येक माह के अंत में समेकित विवरण प्रस्तुत करेंगे - जैसा कि नियम 7 में परिभाषित किया गया है।

12. लेखा का रखरखाव

(1) शासी निकाय निधि का सही एवं शुद्ध लेखा संधारित करेगा तथा और सभी आय और व्यय का हिसाब रखेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को समाप्त होगा।

13. झारखंड में लागू अन्य सभी कानून का प्रयोज्यता

वैसे सभी प्रावधान या नियम जो इस नियम में निर्धारित नहीं है, झारखंड राज्य में लागू ऐसे अन्य खनिज नियमों के तहत निर्धारित नियम; इन नियमों में भी लागू होगा।

14. अर्थदण्ड एवं अंशदान निधि की वसूली

(1) धारक उपकर का भुगतान उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करना है।

(2) यदि कोई धारक नियत दिन तक इस नियम के तहत उपकर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो धारक प्रति माह ३% ब्याज या उसके भाग का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

"THE JHARKHAND MINERAL BEARING LANDS (COVID-19 PANDEMIC) CESS RULES, 2020"

1. SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT

(1) These rules may be called "The Jharkhand Mineral Bearing Lands (COVID- 19 Pandemic) Cess Rules, 2020".

(2) It extends to the entire State of Jharkhand.

(3) It shall come into force on the date of notification.

2. DEFINITIONS

In this Rules, unless the context otherwise requires: -

(a) **"Cess"** means the cess levied under Section 3 of the Ordinance

(b) **"Commissioner"** means the Commissioner of a Division, comprising of Districts;

(c) **"Dispatch"** means dispatch of such Run- of- mine/ minerals as specified in the Schedule appended to the Ordinance, by the holder to any place outside the mineral bearing land;

(d) **"Department"** means the Department of Revenue, Registration and Land Reforms of the State;

(e) **"Deputy Commissioner"** means the deputy commissioner of the District;

(f) **"Designated Bank"** means such bank as fixed by the Government by a circular to receive any amount of Cess or due Cess;

(g) **"Disaster"** means a catastrophe, epidemic/ pandemic, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man- made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life, loss of employment of human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area;

(h) **"Documents"** means and includes written or printed records of any sort, title deeds and data stored by way of electronic record(s) in whatsoever forms or any other records or form as defined in the Information Technology Act, 2000;

(i) **"Electronic record"** means a data, record or data generated, image or sound stored, received or sent in an electronic form, or microfilm or computer generated micro fiche or in a computer disk or in a computer floppy or computer software/ media;

(j) **"Epidemic"** means the occurrence in the State, cases of an illness, specific health related behaviour, or other health related events clearly in excess of normal expectancy and includes COVID- 19

(k) **"Fund"** means a fund created for the purposes of depositing the proceeds of cess as "COVID-19 Pandemic Fund"; to carry out the purposes as specified in Section 4 of the Ordinance; and shall be utilized in the manner as prescribed;

(l) **"Governing Body"** means a body of such authorities, as constituted by the State Government to carry out the purposes of the Ordinance, as prescribed;

(m) **"Government"** means the State Government of Jharkhand;

(n) **"Holder"** means the holder of the mining or quarry lease or prospecting- cum- composite license of the mineral bearing land(s);

(o) **"Mineral Bearing Land"** means holding or holdings of land comprising the area of a land either allocated or granted or deemed to be granted for mineral right i.e. mining or quarry lease or prospecting- cum- mining lease or petroleum mining lease under the Mines and

Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 and Petroleum & Natural Gas Rules, 1959;

(p) **"Mineral Produce"** means a produce of mineral specified in the Schedule appended to the Ordinance;

(q) **"Mineral Right"** means rights conferred on a lessee/deemed lessee under a mining lease or quarry lease or exploring license or prospecting license or petroleum mining lease granted or renewed under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, Petroleum & Natural Gas Rules, 1959;

(r) **"Month"** means a calendar month or part thereof;

(s) **"Notification"** means a notification as published in the Official Gazette of the State;

(t) **"Ordinance"** means the Jharkhand Mineral Bearing Lands (COVID-19 Pandemic) Cess Ordinance, 2020;

(u) **"Schedule"** means the Schedule appended to the Ordinance;

(v) **"Sections"** means, sections of the Ordinance;

(w) **"State"** means the State of Jharkhand;

(x) **"Year"** means a Financial Year beginning of 1st April and ending on 31st March of the subsequent year; and

Words and expressions used but not defined in these Rules shall have the same meaning as defined in the Ordinance and all the respective Mineral Act(s) and all the respective Rules, as assigned to them under all those such Acts; Rules; Notifications or Regulations made or issued thereunder.

3. APPLICABILITY

These rules shall apply to all mineral bearing lands as defined in the Jharkhand Mineral Bearing Lands (COVID-19 Pandemic) Cess Ordinance 2020.

4. OBJECTIVE OF THE FUND

As defined in Section 4 of the Ordinance notified vide gazette notification dated 06.07.2020.

5. REGISTRATION

The holder shall be deemed to be registered under the Ordinance where they have been already granted mineral rights over mineral bearing land.

6. PRESCRIBED OFFICER

(1) The Deputy Commissioner of the respective districts, or any other officer as delegated in this behalf by the Deputy Commissioner, shall be the prescribed officer, to carry out the functions under the Ordinance;

(2) The Assistant Mining Officer/ District Mining Officer of the respective districts or any other person as notified by the State Government shall be the competent authority to collect the Cess in a manner as per the prescribed method.

7. GOVERNING BODY

(1) The State Government within sixty days of the commencement of these rules, shall constitute a Governing Body under Section 11 of the Ordinance to carry out the purposes as specified in Section 4 of the Ordinance.

(2) The Governing Body shall constitute of the following, as under -

(a) Hon'ble the Chief Minister of Jharkhand : ex officio Chairman
(b) Hon'ble the Finance Minister of Jharkhand : ex officio Member
(c) Hon'ble the Health Minister of Jharkhand : ex officio Member
(d) Chief Secretary, Jharkhand : ex officio Member
(e) Finance Secretary, Jharkhand : ex officio Member
(f) Secretary, Department of Industries, Jharkhand : ex officio Member
(g) Secretary, Department of Revenue, Registration & Land Reforms, Jharkhand : ex officio Member
(h) Secretary, Department of Mines and Geology, Jharkhand : ex officio Member
(i) Secretary, Health, Medical Education & Family Welfare Department : ex officio Member
(j) Secretary, Disaster Management Department : ex officio Member
(k) Any other member or members as appointed by the Chairman

(3) The Secretary, Department of Revenue, Registration and Land Reform, Jharkhand shall be the ex officio Member Secretary -cum- Coordinator of the Governing Body.

(4) The Headquarter of the Governing Body shall be at Ranchi.

(5) The Member Secretary of the Governing Body shall convene the meeting at least once in two months.

(6) The Government shall allocate the proceeds or part thereof of fund, for execution/ implementation of such programs/ projects as specified under Section 4 of the Ordinance and issue such directions as it may deem fit and necessary to such authorities carrying out the projects.

(7) The Governing Body shall evaluate the progress of the programmes and the projects for which the funds have been provided.

8. PAYMENT OF CESS

(1) The holder shall pay the Cess on the mineral bearing land at such rates as prescribed in the Schedule appended to the Ordinance.

(2) The amount of Cess shall become payable and be paid on the same day on which such royalty was payable to the Government.

(3) The Cess shall be paid electronically through Jharkhand Integrated Mines and Management System.

9. MANNER OF DEPOSIT & WITHDRAWAL OF DEPOSIT

(1) The proceeds thus received as per Schedule appended to the Ordinance shall be credited to the designated bank account(s) to be opened in the name of "COVID- 19 PANDEMIC FUND" in any Scheduled Public Sector Banks.

(2) The bank account(s) of the Fund shall be operated by at least two persons to be authorized by

the Governing Council or any officer as authorized by the State Government.

(3) All payments shall only be made electronically to the bank account(s) of the recipient except contingent expenditure not exceeding Rs 5000 and such statutory dues or utility charges for which e- payment facility is not available.

10. TRANSIT MOVEMENT

The holder shall dispatch mineral upon obtaining valid transport challan as prescribed in "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017".

11. MONITORING OF THE AMOUNT PAYABLE TO THE FUND

The Assistant Mining Officer/ District Mining Officer of the respective districts as defined in Rule 6 shall maintain an electronic register of the amount payable and paid by each holder and furnish the monthly consolidated statement thereof to the Member Secretary- cum- Coordinator of the Governing Body as defined in Rule 7 at the end of every month.

12. MAINTENANCE OF ACCOUNTS

(1) The Governing Body shall maintain true and correct accounts of the Fund and of all the income and expenses accurately.

(2) The financial year shall commence from 1st April and end at 31st March of the subsequent year.

13. APPLICATION OF ALL OTHER MINERAL STATUTES APPLICABLE IN JHARKHAND

For all or any such provisions or rules not prescribed in these Rules; the prescribed Rules under such other Mineral Rules applicable in the State of Jharkhand; shall be applicable in these Rules also.

14. PENALTY AND RECOVERY OF CONTRIBUTION TO FUND

(1) The holder shall make the required payment towards Cess in the same frequency as the holder is required to pay royalty to the Government.

(2) If any holder fails to pay the Cess under this Rule by the due day, the holder shall be liable to pay interest @ 3% per month or part thereof.

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 465 -- 50